ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,पटना

पत्रांकः–मु०अ०–4–प्रधानमंत्री बैठक/57/2005/Part II - 1073 पटना/दिनांकः– 09/04/21

प्रेषक,

अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
प्रशासनिक पदाधिकारी,
ब्राडा, पटना।

सेवा में,

मु०अ०–1, 2, 3 एवं 4, ग्रामीण कार्य विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग

विषयः–बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण की असाधारण आम सभा की बैठक के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के असाधारण आम सभा की बैठक का आयोजन विभागीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में Video Conferencing के माध्यम से **दिनांक–13.04.2021 (मंगलवार) को पूर्वाहन 11.00 बजे से** निर्धारित किया गया है।

अतः उक्त तिथि को सभी कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्य प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता अपने जिले के NIC कार्यालय में ससमय Video Conferencing के माध्यम से BRRDA के असाधारण आम सभा की बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। बैठक की कार्यावाली पत्र के साथ संलग्न है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
9/4/21
(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा

ज्ञापांक–मु०अ०–4–प्रधानमंत्री बैठक/57/2005/Part II -1073 पटना/दिनांकः– 09/04/21

प्रतिलिपिः– सहायक आई0टी0 प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग, को आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

9/4/21
प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा

ज्ञापांक–मु०अ०–4–प्रधानमंत्री बैठक/57/2005/Part II 1073 पटना/दिनांकः– 09/04/21

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, को सूचनार्थ समर्पित।

9/4/21
प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक–मु०अ०–4–प्रधानमंत्री बैठक / 57 / 2005/Part II - 1073 पटना / दिनांकः– 09/04/21

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, ब्राडा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा

ज्ञापांक–मु०अ०–4–प्रधानमंत्री बैठक / 57 / 2005/Part II-1073 पटना / दिनांकः– 09/04/21

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा

ज्ञापांक–मु०अ०–4–प्रधानमंत्री बैठक / 57 / 2005/Part II - 1073 पटना / दिनांकः– 09/04/21

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, माननीय मंत्री महोदय को सूचनार्थ समर्पित।

प्रासनिक पदाधिकारी, ब्राडा

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण

ब्राडा के प्रस्तावित असाधारण आम सभा की बैठक की कार्यावली

1. दिनांक–02.09.2020 को विभागीय सचिव–सह–उपाध्यक्ष, ब्राडा की अध्यक्षता में सम्पन्न ब्राडा के वार्षिक आम सभा के बैठक की कार्यावली पर सम्पुष्टि प्राप्त करना।

2. बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रोग्राम फंड एवं प्रशासनिक व्यय फंड के वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंकेक्षित वित्तीय विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रबंधन प्रतिवेदन पर कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। अनुमोदनोपरान्त उक्त प्रतिवेदन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंन्सी को प्रेषित किया जा चुका है।

कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित उक्त प्रतिवेदन को आम सभा द्वारा अंगीकृत करने का प्रस्ताव है।

3. बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के Grant-in-Aid मद के वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंकेक्षित वित्तीय विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रबंधन प्रतिवेदन पर कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित उक्त प्रतिवेदन को आम सभा द्वारा अंगीकृत करने का प्रस्ताव है।

4. बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत MMGSY WB परियोजना के वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंकेक्षित Project Financial Statement पर कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। अनुमोदनोपरानत इसे विश्व बैंक को प्रेषित किया जा चुका है।

कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित उक्त प्रतिवेदन को आम सभा द्वारा अंगीकृत करने का प्रस्ताव है।

5. बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत MMGSY NDB-BRICS परियोजना के वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंकेक्षित Project Financial Statement पर कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। अनुमोदनोपरानत इसे NDB- BRICS बैंक को प्रेषित किया जा चुका है।

कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित उक्त प्रतिवेदन को आम सभा द्वारा अंगीकृत करने का प्रस्ताव है।

दिनांक–10.09.2020 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति के बैठक में लिए गये निम्नलिखित निर्णय पर अनुमोदन प्राप्त करनाः–

6. बेल्ट्रॉन द्वारा HRMS प्रणाली लागू किये जाने के उपरान्त ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्राडा कार्यालय में कार्यरत बेल्ट्रॉन कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान केन्द्रीकृत रूप से ब्राडा द्वारा किया जा रहा है। परन्तु 10 कार्य प्रमण्डलों– सिखरना ढ़ाका, मधुबनी, दरभंगा–1, महुआ, सासाराम–2, नवादा, सोनपुर, सहरसा, उदाकिशुनगंज एवं सिवान–2 तथा कार्य अंचल–सहरसा एवं सिवान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इनके द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत बेल्ट्रॉन से ऑपरेटर की सेवा ली जा रही है। परन्तु सक्षम स्तर से सेवा

Scanned with CamScanner

अनुमोदित नहीं रहने के कारण ब्राडा से इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस विषय पर विभागीय सचिव का निदेश है कि ब्राडा कार्यकारिणी से इस बेल्ट्रॉन कर्मियों की सेवा का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

तदालोक में उपरोक्त 12 क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत बेल्ट्रॉन कर्मियों की सेवा का अनुमोदन का प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कार्यालयों में कार्यहित में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा बेल्ट्रॉन को डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत किया गया है। अतः 12 क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा को अनुमोदित किये जाने तथा अगामी आम सभा की बैठक में इस निर्णय पर सम्पुष्टि प्राप्त करने का निर्णय लिया गया हैं।

कार्यकारिणी समिति के उक्त निर्णय पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

7. दिनांक–25.08.2020 को अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न PMGSY-II अन्तर्गत छूटे हुए 97 पुलों की स्वीकृति हेतु Pre-Empowered Committee की बैठक में दिए गए निदेश के अनुपालनार्थ बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण द्वारा निम्न पदो पर वृहद पुल तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में सेवा निवृत अभियंताओं (असैनिक) को अनुबंध के आधार पर पुनर्नियोजन करने के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पुलों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्न पदों पर अभियंताओं की सेवा अस्थायी एवं औपबंधिक रूप से अनुबंध के आधार पर ली जा सकती है तथा इनके मानदेय का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधानों के अनुरूप करते हुए व्यय का वहन PMGSY प्रशासनिक व्यय मद/ब्राडा के Grant-in-Aid व्यय मद से वहन किया जा सकता है।

क्र0 सं0	पद का नाम	संख्या	अर्हता
1.	Chief Bridge Advisor	01	मुख्य अभियंता स्तर के सेवा निवृत अभियंता
2	Sr. Bridge Advisor	02	अधीक्षण अभियंता स्तर के सेवा निवृत अभियंता
3	Bridge Advisor	04	कार्यपालक अभियंता स्तर के सेवा निवृत अभियंता

कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

8. कार्यकारिणी समिति द्वारा ब्राडा कार्यालय के PMGSY कोषांग हेतु एक सहायक आई0टी0 प्रबंधक एवं 07 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा आउटसोर्स के आधार पर बेल्ट्रॉन/वाह्य सेवा प्रदाता से प्राप्त करने के प्रस्ताव पर कार्याकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

कार्यकारिणी समिति के उक्त अनुमोदन पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

Scanned with CamScanner

दिनांक–29.12.2020 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति के बैठक में लिए गये निम्नलिखित निर्णय पर अनुमोदन प्राप्त करना:–

9. ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव कोषांग में Networking का कार्य एवं Dedicated Lease Line के अधिष्ठापन करने का कार्य Sify Technologies Ltd. से कराये जाने पर कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी हैं।

कार्यकारिणी समिति के उक्त निर्णय पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

10. विभागीय कार्यालय एवं ब्राडा कार्यालय कक्ष हेतु 03 अदद Oil Room Heater एवं 02 अदद Room Heater के क्रय करने पर कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी तथा वस्तुओं का क्रय कर लिया गया है।

कार्यकारिणी समिति के उक्त निर्णय पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

11. विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव (वाह्य) एवं आप्त सचिव (सरकारी) के लिए एक–एक Scorpio वाहन तथा तीन राजस्व पदाधिकारियों के लिए एक–एक Scorpio वाहन पूर्व निर्धारित दर एवं शर्तों पर मासिक भाड़े पर उपलब्ध कराने पर कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी हैं।

उक्त के आलोक में विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव के लिए एक Scorpio वाहन तथा तीन राजस्व पदाधिकारियों के लिए एक–एक Scorpio वाहन पूर्व निर्धारित दर एवं शर्तों पर सेवा ली जा रही है।

कार्यकारिणी समिति के उक्त निर्णय पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

12. माननीय विभागीय मंत्री–सह–अध्यक्ष, ब्राडा के कार्यालय हेतु 02 सोफा सेट, 12 भिजिटर चेयर, 02 सेंटर टेबुल एवं 01 चेयर के क्रय करने के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी है।

कार्यकारिणी समिति के उक्त सहमति पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

दिनांक–22.02.2021 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति के बैठक में लिए गये निम्नलिखित निर्णय पर सम्पुष्टि प्राप्त करना:–

13. सेवा नियमावली निरूपण विशेषज्ञ की सेवा अनुबंध के आधार पर रखने के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान की गई हैं।

कार्यकारिणी समिति के उक्त निर्णय पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

14. माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग–सह–अध्यक्ष, ब्राडा के कोषांग द्वारा निम्न सामग्रियों/सेवाओं को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेशित किया गया :–

i.. वाकी–टाकी–04 अदद

ii. उच्च गुणवत्ता का मोबाईल–02 अदद

Scanned with CamScanner

iii. लैपटॉप–01 अदद

iv. प्रिन्टर–02 अदद

v. टैबलैट पी0सी0–01 अदद

vi. एस0एल0आर0 कैमरा–01 अदद

vii. Video Camera- 01 अदद

viii. LED TV- 01 अदद

ix. फ्रिज– 01 अदद

x. माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय कक्ष हेतु Interior Decorator की सेवा प्राप्त करना।

xi. माननीय मंत्री कोषांग हेतु 01 अदद वाहन चालक की सेवा आउटसोर्स के आधार पर प्राप्त करना।

उक्त निदेशित सामग्रियों को माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग सह–अध्यक्ष, ब्राडा के कोषांग को उपलब्ध कराने के संबंध में सदस्यों द्वारा विमर्श किया गया एवं निदेश दिया गया कि उक्त निदेशित सामग्रियों का क्रय विभागीय क्रय समिति द्वारा स्थानीय बाजार से दर प्राप्त कर किया जाए एवं सामग्रियों को माननीय मंत्री कोषांग को उपलब्ध कराया जाए एवं 01 अदद् वाहन चालक की सेवा आउटर्सोस के आधार पर प्राप्त की जाय।

दिनांक–09.04.2021 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति के बैठक में लिए गये निम्नलिखित निर्णय पर सम्पुष्टि प्राप्त करनाः–

15. दिनांक–22.02.2021 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न PMGSY-II अन्तर्गत छूटे हुए 97 पुलों की स्वीकृति हेतु Pre-Empowered Committee की बैठक में दिए गए निदेश के अनुपालनार्थ बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण द्वारा निम्न पदो पर वृहद पुल तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में सेवा निवृत अभियंताओं (असैनिक) को अनुबंध के आधार पर पुनर्नियोजन करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पुलों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्न पदों पर अभियंताओं की सेवा अस्थायी एवं औपबंधिक रूप से अनुबंध के आधार पर ली जा सकती है तथा इनके मानदेय का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधानों के अनुरूप करते हुए व्यय का वहन PMGSY प्रशासनिक व्यय मद/ब्राडा के Grant-in-Aid व्यय मद से वहन किया जा सकता है।

क्र0 सं0	पद का नाम	संख्या	अर्हता
1.	Chief Bridge Advisor	01	मुख्य अभियंता स्तर के सेवा निवृत अभियंता
2	Sr. Bridge Advisor	02	अधीक्षण अभियंता स्तर के सेवा निवृत अभियंता
3	Bridge Advisor	04	कार्यपालक अभियंता स्तर के सेवा निवृत अभियंता

कार्यकारिणी समिति के उपरोक्त निर्णय के आलोक में ब्राडा द्वारा उक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करते हुए अहर्त्ता रखने वाले अभियंताओं से आवेदन मांगा

Scanned with CamScanner

गया। प्राप्त आवेदन को तकनीकी मुल्यांकन एवं साक्षात्कार के लिए विभागीय सचिव से अनुमोदन प्राप्त करते हुए अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी जिसमें STA NIT पटना के Co-ordinator एवं पुल विशेषज्ञ Professor सदस्य थे। तकनीकी मुल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति द्वारा आवेदक अभियंताओं को निम्नवत चयनित करने की अनुशंसा की गई :–

क्र0 सं0	अभियंता का नाम	पद का नाम	अर्हता
1.	Rajeev Ranjan Prasad	Sr. Bridge Advisor	सेवा निवृत अधीक्षण अभियंता
2	Balkrishna Prasad	Bridge Advisor	सेवा निवृत कार्यपालक अभियंता
3	Gopal Prasad Singh	Bridge Advisor	सेवा निवृत कार्यपालक अभियंता

उपरोक्त आलोक में कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक अभियंताओं को अनुबंध के आधार पर नियोजित करने का निर्णय लिया गया है।

कार्यकारिणी समिति के उक्त सहमति पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

16. ग्रामीण कार्य विभाग के सभी मुख्य अभियंताओं को पथों के निरीक्षण तथा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु अर्हतानुरूप एक–एक वाहन मासिक किराए पर सेवा प्रदाता एजेन्सी से लेने का प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कार्यकारिणी समिति के उक्त सहमति पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

17. माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग–सह–अध्यक्ष, ब्राडा के कार्यालय हेतु 1 अद्द परिचारी एवं 1 अद्द वाहन चालक की सेवा [illegible] सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से प्राप्त करने के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कार्यकारिणी समिति के उक्त सहमति पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

18. बिहार विधान मंडल (विधान सभा एवं विधान परिषद) में माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के वर्ष 2021 के बजट अभिभाषण के अवसर पर माननीय विधान सभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्यों एवं पत्रकारों को उपलब्ध कराने हेतु 400–400 प्रति बजट भाषण एवं प्रतिवेदन का मुद्रण, 600 प्रति डायरी का मुद्रण, 450 अद्द Parker Pen का क्रय तथा 500 अद्द Office Bag का क्रय क्रयसमिति के अनुशंसा के आधार पर किया गया है। इस पर सचिव ग्रामीण कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त क्रय पर सम्पुष्टि का प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति की समक्ष रखा गया जिसपर कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गई है।

कार्यकारिणी समिति के उक्त सहमति पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

19. वर्ष 2021 में अब–तक कार्यालय के विभिन्न कोषांगों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं स्कैनर का क्रय क्रयसमिति की अनुशंसा के आलोक में किया गया है। जिसकी विवरणी निम्न तालिका में अंकित है :–

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	वस्तु	संख्या	कोषांग/कार्यालय
1	HP All in One Desktop	01 अद्द	E-Tendering
2	Dell Desktop	01 अद्द	माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आवासीय कार्यालय
3	Dell Desktop	02 अद्द	माननीय मंत्री के कार्यालय कोषांग
4	HP All in One Desktop	01 अद्द	MMGSY कोषांग
5	HP All in One Desktop	01 अद्द	अग्रिम योजना प्रमंडल–3
6	HP All in One Desktop	01 अद्द	मुख्य अभियंता–2
7	HP All in One Desktop	01 अद्द	लेखा शाखा
8	HP All in One Desktop	01 अद्द	अभियंता प्रमुख का कार्यालय
9	Dell Desktop	01 अद्द	PMGSY कोषांग
10	HP Laptop	04 अद्द	PMGSY कोषांग
11	HP All in One Printer	01 अद्द	माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आवासीय कार्यालय
12	HP All in One Printer	01 अद्द	अभियंता प्रमुख कोषांग
13	HP All in One Printer	02 अद्द	माननीय मंत्री के कार्यालय कोषांग
14	HP All in One Printer	01 अद्द	MMGSY कोषांग
15	HP All in One Printer	01 अद्द	लेखा शाखा
16	HP Scanner	01 अद्द	मुख्य अभियंता–2

उक्त तालिका के अनुसार क्रय किये गये सामाग्रियों पर कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदत्त उक्त निदेश/निर्णय पर आम सभा की सम्पुष्टि प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

20. अध्यक्ष की अनुमति से लाया गया कोई अन्य मामला।

Scanned with CamScanner